

कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पार्किंग के संचालन हेतु निविदा

टेन्डर नं. 01 (आर)/2016-17- स्मा  
 फा.सं. 5/194/जोध/कुम्भलगढ़/2014-15  
 स्मा

निविदा फार्म की कीमत: 500/-

बयाना राशि: 75,000/-

न्यूनतम निविदा राशि: 5,00,000/-

मैं/हम इस पूर्णतया भरे हुए निविदा प्रपत्र को बिना शर्त आपके समक्ष प्रस्तुत करता  
 हूँ/करते हैं जो आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित निविदा नोटिस के अनुसार ..... रु. की  
 बयाना राशि मांग पत्र संख्या ....., दिनांक ..... को निर्गत भी संलग्न है।

टेन्डरदाता का नाम:	
पता:	

क्रमांक	विवरण	अवधि	निविदा हेतु प्रस्तावित राशि
1.	कुम्भलगढ़ दुर्ग में पार्किंग अधिकृत स्थान निम्नलिखित है— (क) रामपोल गेट के सामने बुकिंग काउंटर एरिया	<b>01-06-2016</b> <b>1 s</b> <b>31-03-2017</b>	(अंको में) (शब्दों में)

टेंडर दाता के हस्ताक्षर

1.	पैन नं.	
2.	टीन/सर्विस टैक्स संख्या	
3.	कार्यक्षेत्र में अनुभव	
4.	पहचान पत्र	
5.	निविदा फार्म राशि का डिमांड ड्राफ्ट	

अधीक्षण पुरातत्वविद् (प्र.)

टेंडर दाता के हस्ताक्षर

दिनांक:

## fufonk l puk

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल शुष्क वन अनुसंधान परिसर, कृषि उपज मंडी, न्यू पाली रोड़, जोधपुर (राज.) **Bfnukd 01-06-2016 l s 31-03-2017 rd ds fy, dñkkyx< nqz ij okgu ikfdk Bdk** हेतु प्रतिष्ठित ठेकेदारों/संस्थानों से जिन्हे पिछले तीन वर्षों में कम से कम एक वर्ष का वाहन पार्किंग ठेके का अनुभव हो निविदा राशि सहित मुहरबंद निविदा दिनांक 25.05.2016 अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित करते हैं, जो कि उसी दिन अपराह्न 3.30 बजे निविदाकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति मे (यदि इच्छुक हो) जोधपुर मंडल कार्यालय में खोली जायेगी।
2. निविदा की शर्तें निम्नलिखित है:-
  - I. निविदा प्रपत्र मुहरबंद लिफाफा, जिस पर कार्य का नाम **^dñkkyx<+nqz ij okgu ikfdk Bdk** लिखा हो लिफाफों में भेजे।
  - II. इसके साथ बयाना राशि के रूप मे अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर के पक्ष मे जारी रू. 75,000/- मात्र का मांग पत्र संलग्न होना चाहिये। निविदा स्वीकृत नही होने पर यह राशि बिना किसी ब्याज के लौटा दी जायेगी।
  - III. उच्चतम निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होने पर 75,000/- के अलावा बाकी निविदा राशि का मांग पत्र कार्यालय द्वारा जारी स्वीकृत पत्र में दर्शायीं दिनांक के अनुसार अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर के पक्ष में जारी करना होगा। अन्यथा उसका ठेका निरस्त कर द्वितीय उच्चतम निविदाकर्ता को दिया जाएगा।
  - IV. उच्चतम निविदाकर्ता की निविदा स्वीकृत होती है तो निविदा राशि का 15 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एफ.डी.आर के रूप में जमा करानी होगी जो मंडल कार्यालय के पास सुरक्षित रखी जायेगी।
  - V. टेन्डरदाता द्वारा वाहन पार्किंग संचालन संबंधी शर्तों का उल्लंघन करने/किसी और स्थिति में ठेका निरस्त किया जाता है तो इस स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा वापस नहीं लौटायी जायेगी।
  - VI. निविदा बंद लिफाफ में दिनांक 25.05.2016 को अपराह्न 3:00 बजे तक अधीक्षण पुरातत्वविद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर कार्यालय मे पहुँच जानी चाहिये। सफल निविदा कर्ता को उनके दायित्व और पार्किंग संचालन से संबंधित इस कार्यालय से अनुबंध करना होगा।
3. निविदा स्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा और वह उच्चतम निविदा स्वीकृत करने को बाध्य नही होगा। अद्योहस्ताक्षरकर्ता बिना किसी कारण बताये किसी एक अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
4. जो निविदा कर्ता उपरोक्त सभी शर्तों को अथवा उपर बताये किसी भी शर्त को पूर्ण नही करता है अथवा उपर वर्णित शर्तों के अनुसार निविदा प्रस्तुत नही करता है, उसकी निविदा अमान्य होगी।



फा.सं. 05/194/जोध/कुम्भलगढ/पार्किंग/2014-15-स्मा

**दुर्ग पर वाहन पार्किंग शुल्क का निर्धारण**

1. कुम्भलगढ दुर्ग पर रामपोल गेट के सामने बुकिंग काउंटर के पास वाहन पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।
2. दुर्ग पर आनेवाले वाहनों से वाहन पार्किंग शुल्क उपर्युक्त किसी भी एक वाहन पार्किंग स्थल पर लिया जा सकता है जो संपूर्ण पार्किंग स्थल के लिए वैध होगा।
3. पार्किंग स्थलों पर सांकेतिक चिन्ह एवं दरों की सूची प्रकाशित करने वाले पट्ट भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से लगाये जायेगें परन्तु पार्किंग टिकट, टेन्डरदाता को स्वयं छपवाना होगा। टेन्डरदाता टिकट छपवाने से पूर्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से नमूना अनुमोदित कराना होगा।
4. वाहन पार्किंग शुल्क निम्न दरों पर वसूला जावेगा:-

क्रमांक	वाहन का प्रकार	दर
1	दोपहिया वाहन	5/-
2	तिपहिया वाहन	10/-
3	प्राईवेट जीप/कार इत्यादि	15/-
4	टैक्सी/टैक्टर ट्राली	20/-
5	मिनी बस/ट्रक	50/-
6	बडी बस (विशेष अनुमति होने पर)	100/-

5. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के वाहनों से पार्किंग शुल्क नहीं लिया जावेगा।
6. टेन्डरदाता की यह जिम्मेदारी होगी कि वह दुर्ग पर आनेवाले किसी भी वाहन को सडकों पर नहीं खडा होने दें तथा पर्यटकों को पार्किंग स्थल पर ही वाहन खडे करने हेतु बाध्य करें।
7. दुर्ग पर वाहनों के सुव्यवस्थित संचालन हेतु यातायात पुलिस द्वारा समय-समय पर की गयी कार्यवाही को भी टेन्डरदाता को ध्यान में रखना होगा तथा वॉछित रूप से सहयोग करना होगा।
8. टेन्डरदाता पार्किंग स्थलों को स्वच्छ बनाये रखेगा तथा इन स्थलों पर किसी प्रकार का ढांचा इत्यादि नहीं खडा करेगा।
9. किसी प्रकार के विवाद व गतिरोध की दशा में अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जोधपुर मंडल का निर्णय अन्तिम होगा एवं टेन्डरदाता को मान्य होगा।
10. पार्किंग शुल्क पार्किंग स्थल पर ही वसूल किया जायेगा तथा इसके लिये सडक पर बैरियर नहीं लगाया जायेगा।
11. ठेके के संबंध में किसी प्रकार का देय स्थानीय कर अथवा राजस्व स्टाम्प इत्यादि का खर्च टेन्डरदाता द्वारा ही वहन किया जावेगा।

अधीक्षण पुरातत्वविद् (प्र.)

उपर्युक्त नियम एवं शर्तों को मैंने अच्छी तरह पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं इनकी अनुपालना हेतु सहमत हूँ।

टेंडर दाता के हस्ताक्षर

पता: